



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

मेसर्स जीत होम्स सोल्यूशन प्रा0लि0 श्री जितेन्द्र कुमार
आराजी सं0-45/1, 47/1, 47/2, 47/3, मौजा-सेमरा,
परगना-राल्हपुर, एवं आराजी सं0-17, 17/1, 17/2,
16, 11/1, 11/2, 11/3, मौजा-कटेसर, परगना-राल्हपुर,
वार्ड-मुगलसराय, जिला-वाराणसी। मो0नं0-8400002160

पत्रांक:- 01/24 ग्रु0हा0/शमन/वि0प्रा0/विन्यास/2024-25

दिनांक:- 20-12-24

विषय:- आराजी सं0-45/1, 47/1, 47/2, 47/3, मौजा-सेमरा, परगना-राल्हपुर, एवं आराजी सं0-17, 17/1, 17/2, 16, 11/1, 11/2, 11/3, मौजा-कटेसर, परगना-राल्हपुर, वार्ड-मुगलसराय, जिला-वाराणसी प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग शमन मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.03.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। आप द्वारा ग्रुप हाउसिंग शमन मानचित्र को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 04.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत कर दिया गया है, जिसका अनुपालन आपको सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

1. भवन पूर्ण होने के पश्चात पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात अध्यासन की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थल पर 50 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्ष लगाना होगा।
3. स्थल पर ट्रंक सीवर लाईन उपलब्ध नहीं है। इसलिये S.T.P. स्थापित करना होगा।
4. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य वाटर ग्राउण्ड विभाग की डिजाइन के अनुसार निर्माण कराना होगा।
5. भविष्य में कोई देयता निकलती है तो आपको भुगतान करना होगा।
6. 30 मीटर से अधिक ऊंचाई के ब्लाकों में मैकेनिकल वेन्टिलेशन का पूर्णता से पूर्व प्राविधान करना होगा।
7. छत के 25 प्रतिशत भाग पर फोटो वोल्टाईक सोलर पैनल स्थापित करना होगा।
8. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के द्वारा शर्त का अनुपालन करना होगा।
9. पी0एन0जी0 गैस हेतु पाईप लाईन का प्राविधान करना होगा और उपलब्धता होने पर कनेक्शन लेना होगा।
10. कूड़ा संचयन की पर्याप्त व सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
11. भू-स्वामित्व सम्बन्धित, रास्ता सम्बन्धित, बंटवारा सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः अस्वीकार माना जायेगा, ऐसी दशा में इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
12. आपको E.C.B.C. 2019 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार भूखण्ड पर पूर्ण रूप से पालन करते हुये संयंत्र स्थापित करना होगा।
13. RERA की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
14. यह मानचित्र भू-स्वामित्व से सम्बन्धित अभिलेख नहीं होगा और प्रस्तावक/पक्ष को भूमि का स्वत्वाधिकार प्रदान नहीं करेगा। आप द्वारा दाखिल स्वामित्व अभिलेख भविष्य में कभी भी फर्जी और असत्य पाये जाने की दशा में शमन मानचित्र की स्वीकृति निरस्त समझी जायेगी और यह समझा जायेगा कि इस सम्बन्ध में मानचित्र पर कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है तथा मानचित्र स्वीकृत के आधार पर प्रस्तावक द्वारा किया गया कोई भी निर्माण पूर्णतया अवैध माना जायेगा और इस कृत्य के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
15. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निरीक्षण शुल्क में दी गई छूट शासन/मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भविष्य में लिये जाने वाले निर्णय के अधीन होगा। विभाग द्वारा इस शुल्क की मांग किये जाने पर आप द्वारा इसे अदा किया जायेगा।
16. आपको पूर्णता से पूर्व लेबर सेस विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय,

जोनल अधिकारी